FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना

महेन्द्र सिंह बनाम बलबीर

रस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 212 R.T.A. नं० 30 सन 2020

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	17.2.20 आज मद प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA के अन्तर्गत पेश किया गया दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के वकील उपस्थित प्रार्थी वकील की बहस पत्रावली बहस सुनी गई। दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बनता है सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा जरिये इस आदेश के पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नं० 689, 318, 688, वाके ग्राम अकलीमपुर तहसील नीमराना जिला अलवर (राज.) के मौका वारदात की यथास्थिति बनाये रखें। इस संबंध में भी जो कुछ हो आप स्वयं या जरिये अधिवक्ता हाजिर-अदालत आकर जवाबदावा पेश करें। अप्रार्थीगण रजिस्टर्ड तलबाना से तलबी हो वादी रजिस्टर्ड तलबाना पेश करे यदि एक सप्ताह में रजिस्टर्ड तलबाना पेश नहीं किया तो उक्त आदेश अप्रभावी माना जावेगा पत्रावली वास्ते रजिस्टर्ड तलबी दि० 16.4.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर) राज.	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ग्राम पंचायत रोका [illegible]
पंचायत ने अपने वकील के
एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा
पत्र विरुद्ध के आदेश करने
हेतु आग्रह किया है। अपनी
के प्रार्थना पर सुना गया
स्वीकार किया। अतः प्रार्थी
व प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना
पत्र में कहे पर। प्रार्थना
पत्र विरुद्ध किया जाकर खारिज किया
जाता है। पत्रावली नियम
अनुसार होकर [illegible] में
[illegible] हो [illegible] दाखिल
दफ्तर [illegible] रहे।

ह०/
उपखण्ड अधिकारी
नौगांवा (अलवर) राज.